रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—72 REGISTERED No. D. (D.N.)—72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 33] नई दिल्ली सोमवार, जनवरी 25, 1982/माघ 5, 1903
No. 33] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 25, 1982/MAGHA 5, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 1982

का०आ० 50(अ).—केन्द्रीय सरकार ने कम से कम ईंधन का उपयोग कर अधिक से अधिक परिणाम प्राप्त करने, परिचालन खर्च को कम करने तथा अधिकाधिक सुरक्षा और उत्पादन को बनाये रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एक समिति गठित करने का निश्चय किया है यह समिति देश भर में भारी परिवहन गाड़ियों के रजिस्टर्ड लदान भार और अभीष्ट ऐक्सल भार निश्चित करने के लिए मौजूदा व्यवस्था की जांच करेगी और समुचित पद्धति अपनाये जाने के बारे में सुझाव देगी।

2. इस समिति का गठन इस प्रकार किया गया है —

(i) श्री यशवन्त सिन्हा
संयुक्त सचिव (परिवहन)। अध्यक्ष

(ii) परिवहन आयुक्त
महाराष्ट्र सदस्य

(iii) सचिव (गृह) परिवहन विभाग
पश्चिम बंगाल सदस्य

(iv) परिवहन आयुक्त,
हिमाचल प्रदेश सदस्य

(v) परिवहन आयुक्त
कर्नाटक सदस्य

(vi) श्री डी०पी० गुप्ता,
मुख्य इंजीनियर (सड़क)
नौवहन और परिवहन मंत्रालय सदस्य

(vii) श्री एच०एन० फोनेदार
सचिव (अन्तर्राज्यीय परिवहन आयोग)
नौवहन और परिवहन मंत्रालय सदस्य

3. इस समिति का काम मौजूदा नीति का अध्ययन करना और जांच करना है जिसका व्यवहार राज्य सरकारों विभिन्न किस्म की भारी परिवहन गाड़ियों, उनके माडलों, कार्यों, उनके लिए रजिस्टर्ड लदान भार और अभीष्ट ऐक्सल भार निश्चित करने के काम में करती है। यह समिति राज्य सरकारों, परिचालकों और भारी परिवहन गाड़ियों के निर्माताओं से उनके विचार और सुझाव प्राप्त करने के बाद देश भर में भारी परिवहन गाड़ियों के लिए रजिस्टर्ड लदान भार और अभीष्ट ऐक्सल भार समान आधार पर निश्चित करने के लिए समुचित पद्धति का सुझाव देगी।

4 यह समिति इस संकल्प के जारी किए जाने की तारीख से 3 महीने के अन्दर अपनी रिपोर्ट नौवहन और परिवहन सचिव को प्रस्तुत करेगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतियां सभी संबंधितों को भेजी जाएं और सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इस भाग के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

[सं० टीजीओ० (52) 81]

बी० आर० चव्हाण, उप सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

RESOLUTION

New Delhi, the 25th January, 1982

S.O. 50(E).—In the background of the need to promote fuel efficiency, reduce operational cost and optimize safety and output, the Central Government has decided to set up a Committee to examine and suggest a system for assignment of registered laden weight and safe axle weight to heavy transport vehicles throughout the country.

2. The composition of the Committee will be as follows :—

(i) Shri Yashwant Sinha,
Joint Secretary (Transport) —Chairman

(ii) Transport Commissioner,
Maharashtra —Member

(iii) Secretary (Home) (Tpt) Deptt.
West Bengal —Member

(iv) Transport Commissioner,
Himachal Pradesh —Member

(v) Transport Commissioner,
Karnataka. —Member

(vi) Shri D. P. Gupta,
Chief Engineer (Roads)
Ministry of Shipping and Transport —Member

(viii) Shri H. N. Fotedar,
Secretary (ISTC)
Ministry of Shipping and Transport —Member-Secretary

3. The Committee is required to study and examine the present policy followed by the State Governments for assignment of Registered Laden Weight and Safe Axle Weight to heavy transport vehicles of different makes, models and performance and after taking note of the views and suggestions received by it from the State Governments, operators and manufacturers of heavy transport vehicles, recommend an appropriate methodology for assignment of registered laden weight and safe axle weight to heavy transport vehicles on uniform basis throughout the country.

4. The Committee will submit its report to the Secretary Ministry of Shipping and Transport within 3 months from the date of issue of this Resolution.

ORDER

Ordered that copies of the resolution be communicated to all concerned and also that it be published in the Gazette of India for general information.

[No. TGO(52)|81]

B. R. CHAVAN, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982